रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 246] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 1972/आश्विन 6, 1894
No. 246] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1972/ASVINA 6, 1894

CENTRAL SECRETARIAT
23 ...
GOVT. OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 28th September 1972

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar, described in column (2) of the Table below and falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Discription of sugar	Duty of excise
(1)	(2)	(3)
1.	Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of October, 1972 and ending with the 30th day of November, 1972 which is in excess of the quantity of sugar produced during the corresponding period in 1971.	Rupees forty per quintal.
2.	Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of December, 1972 and ending with the 30th day of April, 1973 which is in excess of 115% of the quantity of sugar produced during the period commencing from the 1st day of December, 1971 and ending with the 30th day of April, 1972.	Rupees twenty per quintal
3.	Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of May, 1973 and ending with 30th day of June, 1973 which is in excess of the quantity of sugar produced during the corresponding period in 1972.	Rupees twenty per quintal
4.	Sugar produced in a factory during the period commencing from the 1st day of July 1973 and ending with the 30th day of September, 1973 which is in excess of the quantity of sugar produced during the corresponding period in 1972.	Rupees twenty per quintal

Provided that the exemption under this notification shall not be admissible to a factory—

(a) which did not work during the base period, or

(b) which had only a trial run in the base period, or

(c) which commences production for the first time on or after the 1st day of October, 1972:

Provided further that in computing the production of sugar during the periods mentioned in column (2) of the said Table,—

(a) the data, as furnished in Form R.G. 1 prescribed in Appendix I to the Central Excise Rules, 1944, or in such other record as the Collector may prescribe under rule 53 or rule 173G of the said rules, shall be adopted;

(b) any sugar obtained from reprocessing of sugar-house products left over in process at the end of the base period or earlier shall be taken into account: and

(c) any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar, or any sugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown sugar, if the same has already been included in the quantity of sugar produced, shall not be taken into account.

Explanation I—A factory shall be deemed to have had a trial run during the base period only if, on first going into production, the period during which actual crushing was done during the base period was less than 40 per cent of the average duration of the season in the State in which the factory is situated.

Explanation II—In this notification, the expression, 'base period', means the period commencing from the 1st day of October, 1971 and ending with the 30th day of September, 1972.

[No. 203/72.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1972

सा० का० नि० 418 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उप मद (1) के अधीन आने वाली शर्करा को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि विनिर्दिष्ट है, एतद्द्वारा छूट देती है ।

सारणी

क्रम सं०	शर्करा का वर्णन	उत्पाद-शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	1 अक्तूबर, 1972 से प्रारम्भ होने वाली और 30 नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्करा, जो 1971 की तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिणाम से आधिक्य में हो ।	चालीस रुपये प्रति क्विन्टल

(1)	(2)	(3)
2.	1 दिसम्बर 1972 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्करा, जो 1 दिसम्बर, 1971 से प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण के 115 प्रतिशत से आधिक्य में हो ।	बीस रुपए प्रति क्विन्टल
3.	1 मई 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्करा, जो 1972 को तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण से आधिक्य में हो ।	तीस रुपए प्रति क्विन्टल
4.	1 जुलाई 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित शर्करा जो 1972 में तत्स्थानी अवधि के दौरान उत्पादित शर्करा के परिमाण से आधिक्य में हो ।	बीस रुपए प्रति क्विन्टल

परन्तु इस अधिसूचना के अधीन दी गई छूट उस कारखाने को अनुज्ञय नहीं होगी—

(क) जिसने आधारी-अवधि के दौरान काम नहीं किया था, या

(ख) जिसका आधारी–अवधि में केवल आंच-चालन हुआ था, या

(ग) जो 1 अक्तूबर, 1972 को यह उसके पश्चात् पहली बार उत्पादन शुरू करता है :–

परन्तु यह और कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अवधियों के दौरान शर्करा के उत्पादन की संगणना करने में, —

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के परिशिष्ट 1 में विहित प्ररूप आर० जी० 1 में, या ऐसे अन्य अभिलेख में, जो कलक्टर उक्त नियमों के नियम 53 या नियम 173-छ के अधीन विहित करे, दी गई आधार सामग्री अंगीकृत की जाएगी;

(ख) आधारी अवधि की समाप्ति पर या उसके पहले प्रक्रिया में शर्करा के अवशिष्ट उत्पाद की पुन: प्रक्रिया से अभिप्राप्त कोई शर्करा हिसाब में ली जाएगी; और

(ग) गुड़ या खंडसारी शर्करा के परिष्करण द्वारा अभिप्राप्त शर्करा या खराब अथवा बिगड़ी हुई या भूरी शर्करा की पुन: प्रक्रिया से अभिप्राप्त शर्करा, यदि उसे उत्पादित शर्करा के परिमाण में पहले ही सम्मिलित किया गया हो, हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1.—कोई कारखाना आधारी अवधि के दौरान 'जांच चालन' पर केवल तभी समझा जाएगा यदि पहली बार उत्पादन करते समय, जिस आधारी अवधि के दौरान वास्तविक पेराई की गई थी वह अवधि, जिस राज्य में कारखाना स्थित है उसमें ऐसे मौसम की औसत अवधि के 40 प्रतिशत से कम थी।

स्पष्टीकरण 2.—इस अधिसूचना में 'आधारी अवधि' पद से 1 अक्तूबर, 1971 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है।

[सं० 203/72]

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and produced in a factory which commences production for the first time on or after the 1st day of October, 1972, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to rupees forty per quintal on the quantity of sugar produced during the period commencing from the 1st day of October, 1972 and ending with the 30th day of September, 1973:

Provided that the exemption under this notification shall be applicable only to such quantity of sugar as is produced in excess of five thousand metric tonnes:

Provided further that in computing the production of sugar,—

(a) the data, as furnished in Form R.G. 1 prescribed in Appendix I to the Central Excise Rules, 1944, or in such other record as the Collector may prescribe under rule 53 or rule 173G of the said rules shall be adopted;

(b) any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar, or any sugar obtained by reprocessing of defective or damaged sugar or brown sugar shall not be taken into account.

[No. 204/72.]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

सा० का० नि० 419 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उप-मद सं० (1) के अधीन आने वाली शर्करा को, जो उस कारखाने में, जो कि अपना उत्पादन पहली बार 1 अक्तूबर 1972 को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ करता है, शर्करा के उतने परिमाण पर जो 1 अक्तूबर 1972 से प्रारम्भ होने वाली और 30 सितम्बर 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पादित हो, उद्ग्रहणीय उतने उत्पादन-शुल्क से जो चालीस रुपए प्रति क्विन्टल के सम-तुल्य हो, एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना के अधीन दी जाने वाली छूट शर्करा के केवल उतने परिमाण पर लागू होगी जो पांच हजार मैट्रिक टन से आधिक्य में उत्पादित हो :

परन्तु यह और कि शर्करा के उत्पादन की संगणना करने में,—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के परिशिष्ट 1 में विहित प्ररूप आर० जी० 1 में, या ऐसे अन्य अभिलेख में जो कलक्टर उक्त नियमों के नियम 53 अथवा नियम 173-छ के अधीन विहित करे, दी गई आधार सामग्री अंगीकृत की जाएगी;

(ख) गुड़ या खंडसारी शर्करा के परिष्करण द्वारा अभिप्राप्त शर्करा या खराब अथवा बिगड़ी हुई या भूरी शर्करा की पुनः प्रक्रिया से अभिप्राप्त शर्करा गणना में नहीं ली जाएगी।

[सं० 204/72.]

एस० आर० नारायणन, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972